संख्या:30/2023/1090ई-2/तेरह-2023-1725244

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 11 जुलाई, 2023

विषयः-मेसर्स एक्जोटिक सेलिब्रेशन प्रा.लि. द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट एक्जोटिक सेलिब्रेशन, दुकान नं. आर-6, 7 एवं 8 कृष्णा अपरा डी मॉल, प्लाट नं.-1, शक्ति खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन निर्गत किये जाने के **संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-58/दो-प्रा.एम.बी.(19)/लघु यवासवनी, दिनांक 05-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आप द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित प्रस्ताव तथा राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स एक्जोटिक सेलिब्रेशन प्रा.लि. द्वारा संचालित रेस्टोरेन्ट एक्जोटिक सेलिब्रेशन, दुकान नं. आर-6, 7 एवं 8 कृष्णा अपरा डी मॉल, प्लाट नं.-1, शक्ति खण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को 150 लीटर प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 350 कार्यकारी दिवस के आधार पर 52,500 लीटर वार्षिक ड्राट बियर उत्पादन किये जाने हेतु माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने हेतु एम.बी.-5 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की औपचारिकताएं पूर्ण होने के कारण उक्त इकाई को माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा:-

(1) उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में माइक्रो ब्रिवरी स्थापना हेतु उल्लिखित नियम एवं शर्तें।

(2) इकाई को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल एवं वायु हेतु निर्गत कन्सेन्ट टू आपरेट आर्डर दिनांक 28-06-2023 में उल्लिखित नियम व शर्तें।

(3) इकाई द्वारा स्थानीय जल उपयोगिता, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 में विहित व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया नहीं है।

(5) उक्त के अतिरिक्त इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।